दिनांक 8.4.2011 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में
आयोजित आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी राज्य कार्यकारी समिति की
बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 8.4.2011 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें परिशिष्ट–'अ' अनुसार अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

बैठक में व्यापक विचार विमर्श उपरान्त एजेन्डा बिन्दु अनुसार निम्नप्रकार निर्णय लिये गये :–

1. **कार्योत्तर अनुमोदन –**

क्षमता संवर्धन मद में व्यय की गयी राशि (रूपये 6.00 करोड) के संबंध में भारत सरकार को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र का कार्योत्तर अनुमोदन –

13वें वित्त आयोग की अनुशंषा अनुसार वर्ष 2010–11 में भारत सरकार से क्षमता संवर्धन मद में 6.00 करोड रूपये की राशि प्राप्त हुई थी। भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप यह राशि वर्ष 2010–11 में व्यय की गयी। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महोदय (मुख्य सचिव) के अनुमोदन उपरान्त इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवा दिया गया था, ताकि वर्ष 2011–12 के लिये इस मद में राशि प्राप्त हो सके। बाद विचार विमर्श, लिये गये निर्णय का राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

नवीन प्रस्ताव

2. **भीलवाडा जिले में नगरीय क्षेत्र में वितरित असहाय सहायता राशि की कार्योत्तर स्वीकृति –**

भीलवाडा जिले में अभाव संवत् 2061 में असहाय सहायता राशि का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरपालिका क्षेत्र में भी कर दिया गया था, जबकि विभाग द्वारा बाद में नगरपालिका क्षेत्रों में भुगतान न किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये थे। भुगतान की गयी राशि रूपये 2,71,200 को विभागीय निरीक्षण दल द्वारा अनियमित व्यय मानते हुए आक्षेप लगाया तथा वसूली का सुझाव दिया। चूँकि भुगतान 5–6 वर्ष पूर्व नगर के विभिन्न असहाय लोगों को किया जा चुका है। अतः अब उसकी वसूली को व्यावहारिक एवं उचित नहीं मानते हुए किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

3. **हैज़र्ड सेफ्टी सेल का गठन –**

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2004 में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों में इस सैल का गठन शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन की अध्यक्षता में करना था, किन्तु 2005 में प्राप्त निर्देशों में मुख्य अभियन्ता, सा0नि0 विभाग की ही अध्यक्षता में सैल

गठित करने के नवीन निर्देश प्राप्त हो गये। तदनुसार सा0नि0 विभाग द्वारा सैल का गठन भी किया गया था, किन्तु वह वर्तमान में कार्यरत नहीं है। अतः उसे पुनः स्थापित करना आवश्यक है, ताकि भूकम्प आपदा के संबध में राज्य की तैयारियों को दिशा प्राप्त हो सके। प्रमुख शासन सचिव, सा0नि0विभाग का मत था कि उनके विभाग में आपदा प्रबन्धन संबंधी विशेषज्ञता का अभाव होने से इस सैल का गठन आपदा प्रबन्धन सचिव की अध्यक्षता में करने से ही यह अधिक कारगर सिद्ध होगा। इस हेतु वे अपने विभाग के एक मुख्य अभियन्ता तथा 2 अधीक्षण अभियन्ताओं की सेवा इस सैल को सुपुर्द कर देंगे। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन ने जब यह बात रखी कि अभियन्ताओं पर आपदा प्रबन्धन विभाग का प्रशासनिक नियन्त्रण न होने से कार्यप्रणाली में व्यवधान आते रहेंगे, तो प्रमुख शासन सचिव, सा0नि0विभाग ने आश्वस्त किया कि वे उक्त अभियन्ताओं को इस प्रयोजन के लिए, आपदा प्रबन्धन के ही अ धीन करने के सम्बन्ध में उचित निर्देश देंगे। इस सैल हेतु नये पदों के सृजन का भी सुझाव आया, किन्तु बाद विचार विमर्श यही उचित पाया गया कि फिलहाल, कार्यरत अभियन्ताओं को ही अतिरिक्त कार्यभार देकर सैल को सक्रिय किया जावे। कार्यभार बढने पर पृथक् से विचार किया जावेगा।

अतः निर्णय किया गया कि राज्य में हैजर्ड सेफ्टी सैल का गठन शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता की अध्यक्षता में किया जावेगा, जिसमें मुख्य अभियन्ता, सा0नि0विभाग संयोजक होंगे। उनके कार्यालय में कार्यरत दो अधीक्षण अभियन्ताओं को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इस सैल में नियुक्त किया जावेगा। इनका, सैल के प्रयोजन से प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन विभाग के पास रहेगा।

इस सैल में स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल आदि संस्थाओं में कार्यरत मुख्य अभियन्ता को सदस्य बनाया जावे। साथ ही, भूकम्प विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि, सेवा निवृत भवन निर्माण विशेषज्ञ आदि गैर सरकारी लोगों को भी आवश्यकतानुसार जोडा जावे। फील्ड में समन्वय संबंधी कार्य, सैल द्वारा, मुख्य अभियन्ता, सा0नि0विभाग कार्यालय के माध्यम से ही किया जावेगा।

4. **राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF) का गठन –**

राज्य कार्यकारी समिति के ध्यान में लाया गया कि इस बल में सर्वप्रथम आर.ए.सी. के 25 कर्मियों को शामिल किया गया था, जिसमें अब 100 और कर्मियों को शामिल कर, सभी 125 कर्मियों का स्थायी मुख्यालय कोटा कर दिया गया है तथा ये सभी कमान्डेन्ट द्वितीय बटालियन, आर.ए. सी. कोटा के नियन्त्रणाधीन रहेंगे।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि इस बल में 25 और कर्मियों को शामिल कर, इनकी कुल संख्या 150 की जावे। तत्पश्चात् इनके 50–50 के 3 समूह बनाकर, राज्य के 3 स्थानों पर उन्हें तैनात किया जावे। इस हेतु कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। इस बल के जवानों के लिये भिन्न–भिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु जरूरी ट्रेनिंग, क्षमता संवर्धन मद से, करवायी जावे। तथा इन्हें विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव के लिये आवश्यक उपकरण वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों को एवं

आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए, एस.डी.आर.एफ. निधि से उपलब्ध करवाये जावें।

5. धौलपुर एवं हनुमानगढ में फायर ब्रिगेड/एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु

समिति को अवगत कराया गया कि इस वर्ष की बजट घोषणा में एकीकृत अग्नि शमन सेवाएं राज्य में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव शामिल किया जा चुका है। वर्तमान में भारत सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से भी फायर ब्रिगेड क्रय करने के लिये काफी राशि प्राप्त हो रही है। अतः इसके संबंध में समग्र रूप से विचार किये जाने की आवश्यकता है। निर्णय लिया गया कि शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, महानिदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के साथ समन्वय कर समग्र रूप से विचार कर व उपलब्ध वाहनों/उपकरणों को ध्यान में रखते हुए शेष आवश्यकता का आंकलन करें, ताकि उपलब्ध संसाधनों के भीतर आवश्यक फायर ब्रिगेड वाहन स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके।

6. नगर निगम जयपुर को वाटर बाउजर (**Water Bowser**) एवं फोम टेण्डर उपलब्ध कराने बाबत –

नगर निगम, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जयपुर शहर की तेजी से बढती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा हाल ही क्रय किये गए एरियल हाईड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए, 10 वाटर बाउजर (**Water Bowser**) एवं 10 फोम टेण्डर क्रय करने हेतु 7.00 करोड रूपये स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस पर होने वाला आवर्ति व्यय नगर निगम, जयपुर द्वारा ही वहन किया जावेगा।

7. नगर निगम कोटा को अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने बाबत –

कोटा शहर की बढती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम कोटा को एक ऐरियल हाईड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म क्रय करने हेतु 6. 00 करोड रूपये स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस पर होने वाला आवर्ति व्यय नगर निगम कोटा द्वारा ही वहन किया जावेगा।

कोटा शहर में हवाई अड्डे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक एयर फील्ड क्रेश फायर टेण्डर क्रय करने हेतु 2.00 करोड रूपये स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस पर होने वाला आवर्ति व्यय नगर निगम कोटा द्वारा ही वहन किया जावेगा।

अन्य उपकरणों को स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया।

8. एस.डी.आर.एफ. हेतु उपकरणों का क्रय

चूँकि प्रस्ताव जिला कलेक्टर, कोटा से प्राप्त हुए हैं, अतः इन पर गृह विभाग से व्यापक विचार विमर्श करने के उपरान्त एस.डी.आर.एफ. हेतु जरूरी उपकरणों के प्रस्ताव प्राप्त किये जाने आवश्यक है। इस संबंध में ए. टी.एफ. प्रमुख श्री कपिल गर्ग से भी विचार विमर्श कर लिया जावे। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव अगली बैठक में रखे जावें।

9. संभागीय मुख्यालय पर उपलब्ध कराये गये सेटलाइट फोन के बिलों का भुगतान–

समिति को अवगत कराया गया कि राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18.09.09 में लिये गये निर्णय अनुसार संभागीय मुख्यलायों को सेटलाइट फोन उपलब्ध कराये गये हैं। अब तक अजमेर एवं बीकानेर संभाग पर सेटलाइट फोन दिये जाकर कार्य करना शुरू हो गया है। शेष संभागों में प्रक्रिया जारी है। इनका न्यूनतम मासिक भुगतान 17,000 रूपये प्रति माह प्रति सैटेलाइट फोन है। संभागीय आयुक्तों के पास इनके भुगतान का पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। राज्य आपदा मोचन निधि से आवर्ति व्यय अनुमत नहीं है। बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि इन सैटेलाइट फोनों के मासिक बिलों के भुगतान हेतु संभागीय आयुक्तों को राज्य सरकार के मद से राशि आवंटित करवायी जावे। निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इस हेतु संभागीय आयुक्तों को बजट आवंटित करवाया जावे।

10. **स्काउट गाइड आपदा प्रबन्धन सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव –**

स्टेट चीफ कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड से राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर स्काउट गाइड के आपदा प्रबन्धन केन्द्र स्थापित करने/प्रशिक्षण दिलवाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्तावों पर व्यापक विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लियागया कि स्काउट–गाइड के राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन केन्द्र स्थापित करने हेतु उन्हें परिशिष्ट – 'ब' (भाग–I) अनुसार रैस्क्यू सैट उपकरण क्रय करने हेतु रू0 330.00 लाख स्वीकृत किए जावें एवं आयोजित होने वाले आपदा प्रबन्धन संबंधी प्रशिक्षण उपकरणों के लिए परिशिष्ट– 'ब' (भाग–II) अनुसार रू0 2.00 लाख स्वीकृत किए जावें। इन प्रशिक्षणों के लिहाज से आवश्यक होने के कारण टैन्ट क्रय करने हेतु रू0 7.00 लाख स्वीकृत किए जावें। प्रशिक्षण व्यय के रूप में, प्राप्त प्रस्तावों के विरूद्ध, यात्रा व्यय के रूप में चाही गयी राशि अनुमत योग्य न होने के कारण, उसे कम करते हुए रू0 7.98 लाख की स्वीकृति दी जावे। इन स्वीकृतियों के संबंध में, आवश्यक होने पर आवर्ति व्यय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा स्वंय वहन किया जावेगा।

इन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो मास्टर ट्रैनर्स तैयार होंगे, वे राज्य के माध्यमिक स्तर अथवा इसके उच्च स्तर के स्कूली विद्यार्थियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देंगे, ताकि अधिक से अधिक स्कूली विद्यार्थी आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित होकर आपदा की स्थिति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

11. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग आदि को आवंटित राशि के संबंध में प्राप्त प्रगति पर विचार –**

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा उन्हें आवंटित राशि का अभी तक भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, जबकि काफी लम्बा समय गुजर चुका है। निर्णय लिया गया कि जिन विभागों द्वारा आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं किया गया है एवं तत्सम्बन्धी पूर्ण

जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, उनके प्रमुख को अगली बैठक में पूर्ण सूचना एवं प्रगति रिपोर्ट के साथ विचार विमर्श हेतु आमन्त्रित किया जावे, ताकि प्रत्येक से प्रगति में विलम्ब के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा सके।

चिकित्सा विभाग द्वारा जो उपकरण अनुमोदित सूची से बाहर के क्रय कर लिये गये हैं, उनका व्यय विभाग अपने मद से ही वहन करेगा।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

1. आपदा के घटित होने के उपरान्त पीडित लोगों के जीवन बचाने के लिये राज्य की चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ होना आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न चिकित्सालयों को जीवन रक्षक उपकरण एवं उससे जुडी हुई सामग्री प्राथमिकता पर उपलब्ध करवाया जाना आपदा प्रबन्धन की प्रमुख जरूरत है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए तत्सम्बन्धी उपकरणों के क्रय के लिये राज्य आपदा मोचन निधि की अनुमत सीमा के अन्दर आवश्यक राशि (लगभग 35 करोड़) रूपये आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।

2. वर्तमान में जापान में घटित भयंकर आपदा एवं देश में गत दिनों आये छोटे–बडे भूकम्पों को ध्यान में रखते हुए राज्य में तत्सम्बन्धी तैयारियों को उच्च प्राथमिकता दिया जाना उचित समझा गया। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया गया कि वे भूकम्परोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिये अपनी बी.एस.आर. में तत्सम्बन्धी दरों को भी शामिल करे। साथ ही, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूकम्परोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिये शहरी क्षेत्रों में प्रवृत भवन निर्माण उप नियमों में तत्सम्बन्धी प्रावधान शामिल करने के लिये जो भी आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो, वे सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्वायत्त शासन/ नगरीय विकास विभाग बिना विलम्ब के उठायें।

3. एन.सी.सी. को आपदा प्रबन्धन में एक उपयोगी बल के रूप में जोडा जा सकता है। अतः एन.सी.सी. के केडेट्स को आपदा प्रबन्धन संबंधी उपयुक्त प्रशिक्षण दिलवाने एवं जरूरी उपकरणों के संबंध में एन.सी.सी. के अधिकारियों से विचार विमर्श कर प्रस्ताव तैयार करवाये जावे।

4. राज्य के फायरमैन्स, राज्य में घटित होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं में बहादुरी के साथ जूझते हैं। उनके शरीर की सुरक्षा राज्य का अहम दायित्व है। अतः उनके लिये जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने के लिये स्थानीय निकायों से विचार विमर्श कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करवा कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करवाये जावें। राज्य के फायरमेन्स के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार किये जाने की दिशा में प्रयास किया जाये।

5. राज्य में बम विस्फोट की घटना घटित हो चुकी है। इस लिये भविष्य में इसे ध्यान में रख आवश्यक तैयारियॉ रखना राज्य हित में है। बम

डिस्पोजल स्क्वायड के लिये विशेष प्रकार की क्लोथिंग जरूरी है। ए.टी.एफ. के प्रमुख से वार्ता कर इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार करवाये जावें।

6. राज्य में अणु बिजली घर लम्बे समय से कार्यरत है। जापान की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता एवं प्रबन्धन की आवश्यकता है। इस हेतु खोज बचाव के लिये किस प्रकार के विशेष उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारियों से समन्वय कर तैयार करवाये जावें।

7. राज्य आपदा मोचन निधि मद से जो भी उपकरण क्रय किये जाते हैं उनकी व्यावहारिक एवं दीर्घावधि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि इनका क्रय इस प्रकार से किया जावे कि इनके मूल्य में इनका 5 वर्ष का रख–रखाव व्यय भी शामिल हो, ताकि रख–रखाव पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना पडे तथा रख–रखाव के अभाव में उपकरण अनुपयोगी न हो जावे। समिति ने बाद विचार विमर्श इस प्रस्ताव को उपयुक्त पाया।

8. राज्य में आतंकवादी घटनाओं के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने बताया कि विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालयों पर ली गई बैठकों में ऐसा सुझाव प्रायः सामने आया था एवं वस्तुतः राज्य में इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। निर्णय किया गया कि इस संबंध में राज्य ए.टी.एफ. के प्रमुख से चर्चा कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करवाये जावें।

9. राज्य में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों एवं राज्य के मार्गों से परिवहन किये जाने वाले रासायनिक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए, रासायनिक दुर्घटना जैसी आपदा को ध्यान में रखते हुए, बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों के प्रस्ताव तैयार करवाये जावें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

शासन उप सचिव

एफ 1(1)(5) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/प्र/2007/5831-40 18.5.11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, राज0 जयपुर।
2 निजी सचिव, मा0 मन्त्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।
3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, (विकास) राज. जयपुर।
5 निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त, राज0 जयपुर।
6 निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह, राज0 जयपुर।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास/सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।
8 निजी सचिव, शासन सचिव, आ0 प्र0 एवं सहायता।
9 स्टेट चीफ कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाईड्स, जयपुर।
10 आयुक्त वाणिज्यिक कर विभागत्र राज0 जयपुर।

शासन उप सचिव

परिशिष्ट – 'अ'

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 08.04.2011 में उपस्थित अधिकारीगण –

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	
1.	श्री सी. के. मैथ्यू	अति0 मुख्य सचिव, (वित्त)	सदस्य
2.	श्री बी.बी. मोहन्ति	अति0 मुख्य सचिव, (विकास)	सदस्य
3.	श्री दिनेश कुमार गोयल	प्रमुख शासन सचिव,सा0नि0वि0	विशेष आमन्त्रित
4.	श्री निरन्जन आर्य	मुख्य आयुक्त, स्काउट एवं गाइड	विशेष आमन्त्रित
5.	श्री तन्मय कुमार	शासन सचिव, आ0प्र0एवं सहायता	सदस्य
6.	डा0 आर. वेक्टेंश्वरन	शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग	विशेष आमन्त्रित
7.	श्री ओ0 पी0 यादव	उप सचिव, गृह (आ0प्र0)	सदस्य (प्रतिनिधि)
8.	डा0 प्रदीप शारदा	निदेशक, एडस्(चिकि.एवं स्वा0) विभाग	विशेष आमन्त्रित

ResQue Equipments

S.No.	Particular	Approx cost	Qty	Amount
1-	Hand Tool Set (with Contents) a. Pliers 8"(Tab aria or Eqvt) b. Vise grip10"(Taparia or eqvt) c. Bolt cutter 14" & 30" d. Chisel for concrete 1/2" & 1" (Tab aria or Eqvt) e. Screw driver set (Tap aria) complete set f. Hacksaw 12" tubular with spare blades g. Handsaw 600 mm h. Claw Hammer 4 Kgs i. Sladge Hammer 7Kgs and 10 Kgs. J. Carpenter Hammer 3" k. File Flat 12" l. Crescent wrench 8"	11000	01	11000
2	Chipping Hammer With all bits	45000	1	45000
3	Chain Saw (Petrol) 12" With carbide tipped chain	38000	1	38000
4	Circular Saw (Petrol) 10" with carbide and metal cutting blades	38000	1	38000
5	RAM set with foot pump	40000	1	40000
6	Hydraulic Jacks 5 tons	23000	2	46000
7	Rotary Hammer Draill 1 1/2" with bits (electric)	33000	1	33000
8	Electric Drill with set of bits	12000	2	24000
9	Pipe wranch	450	2	900
10	Pullies :- e. Single sheave f. double sheave g. triple sheave h. snatch block	 500 600 750 750	 2 2 2 2	 1000 1200 1500 1500
11	Scene Tape (for marking of Disaster Prove Area)	25 per mtr	1000mtr	25000
12	Medical First Response Kits with Box (Bite Sticks, stiff neck collars (various sizes) gauzes, multitrauma dressings, flexible splints, restraints, bandages, tapes dermical, latex gloves, masks, (CPR), Triage ribbons of of various colours, masks, sponges, scissos, disinfetants, oxygen canola, air-way oral etc)		35000x2	70000
13	Fire entru siots		1.25	125000
			TOTAL	5.00 Lac

Resource & Personal Kit

S.No.	Particular	Qty	Amount
1-	Overall Combination	1500x4	6000
2	Life Jacket	3000x4	12000
3	Aluminum Extn Ladder 35'	12000x4	48000
4	Emergency Light	2500x4	10000
5	Acetylane Torch	2500x4	10000
6	Mega Phone	2500x4	10000
7	Search Light	10000x2	20000
8	Generator 1.5 K.V.	80000x1	80000
9	Face Mask	800x50	40000
10	spade	500x50	25000
11	picks	500x50	25000
12	shoul/Fawra	500x50	25000
13	Tarpaulian 12'x 12'	2000x4	8000
14	Durries 12'x12'	1000x4	4000
15	Debris Basket	400x50	20000
16	3 Ton Lifting Tackle	5000x1	5000
17	Gum Boot	1000x50	50000
18	Hand Gloves Rubber	700x25	17500
19	Sledge Hammer	700x4	2800
20	Heavy Axe	600x4	2400
21	Light Axe	500x50	25000
22	Stretcher (D Type)	3000x10	30000
23	Blanket Red	800x50	40000
24	Buckets	400x50	20000
25	B O B Roap 20KG	600x20	12000
26	Fiber Ropes 3"	50x100mtr	5000
27	Fiber Ropes 1 1/2"	35x100	3500
28	Life Buoy (Bucket type)	600x50	30000
29	Wooden Bullies 8'	250x100	25000
30	Planks (Woden Fante) 6'	250x100	25000
31	Repelling Rope 8mmsx200ft	2500x4	10000
32	Climbing Rope 10MMx 100 ft	2000x4	8000
33	Camming devices (Prusik loop)	8000x4	32000
34	Tape measure	250x4	1000
35	Tarpaulian 6mx6m	5500x2	11000

36	Fire Extinguishers : a. Carbon-di-oxide b. ABC (DCP on Nitrogen based) c. Water CO2 d. Mehanical Foam e. DCP	 5000x2 4000x2 2500x2 2500x2 3500x2	 10000 8000 5000 5000 7000
37	Extension Boards & cords (25 mtr)	1000x2	2000
38	Water Jel Blankets	1200x4	4800
39	Backboard with straps	15000x4	60000
		TOTAL	8.00 Lac

परिष्ठ "ब" II

स्काउट गाइड आपदा प्रबंधन सेवा हेतु प्रशिक्षण उपकरण

S.No.	Particular	Approx cost	Qty	Amount
1.	CPR Maniguin with lungs bag (full Body male)	110000	1	110000
2.	Miscellaneous charts, flip boards consumables, training films, stationery	90000	1	90000
	Total	200000		200000